संख्या-249/2019/3368/नौ-5-2019-01घोषणा/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 19 अगस्त, 2019

विषय: प्रत्येक जिला-मुख्यालयों में एक मॉडल पार्क विकसित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 03.06.2019 को जनपद-लखनऊ में की गयी घोषणा के अनुपालन में प्रदेश के प्रत्येक जिला-मुख्यालयों में एक मॉडल पार्क विकसित किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में **"पार्कों का निर्माण एवं विकास योजना"** के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराये जाने से पूर्व निम्नाकिंत बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है:-

1. योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालयों में पूर्व से अवस्थित पार्क के लिए चिन्हित स्थलों अथवा उपलब्ध पार्क को एक मॉडल पार्क के रूप में निर्मित एवं विकसित किया जायेगा।
2. प्रत्येक जिला मुख्यालयों में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत एक पार्क के विकास हेतु उसका चिन्हांकन संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
3. जिलाधिकारी द्वारा जिला मुख्यालयों में चिन्हित पार्क का प्रारम्भिक छाया चित्र/नगरीय निकाय के स्वामित्व/निर्विवादित होने संबंधी अभिलेख आदि प्रस्ताव के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक जिला मुख्यालयों में पार्क के विकास हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव में जन सामान्य हेतु निम्नलिखित सुविधायें अनिवार्य रूप से होगीं:-
   (1)-टहलने के लिए पाथवे
   (2)-बैठने हेतु बेन्च आदि की व्यवस्था
   (3)-प्रसाधन
   (4)-ओपन एयर जिम
   (5)-शुद्ध पेयजल
   (6)-योग के लिए उपयुक्त स्थान
   (7)-बच्चो के खेलकूद हेतु बाल-क्रीडा क्षेत्र आदि।
5. पार्क के लिए चाहर-दीवारी तथा यथा सम्भव पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।
6. पार्क में महिला एवं पुरूष प्रसाधन अलग-अलग होगें।
7. पार्क में घास एवं पर्याप्त हरियाली के लिए छायादार पेड पौधे तथा फूल इत्यादि लगाये जायेगें।
8. शुद्ध पेयजल एवं पेड पौधों की सिचांई हेतु समर्सेबिल पम्प लगाये जायेगें।
9. कार्य के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था संबंधित नागर निकाय या शासन द्वारा नामित संस्था होगी।

10. पार्क का विकास हो जाने के उपरान्त उनके रख-रखाव का पूर्ण दायित्व संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति का होगा। इस हेतु संबंधित जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।
11. आगणनों का गठन वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26.08.2014 की व्यवस्थानुसार कराया जायेगा तथा आगणन अधिशासी अभियन्ता/समकक्ष स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।
12. आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अद्यतन दरो पर किया जायेगा ।
13. आगणन का गठन करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जायेगा तथा उन्हीं कार्यो को लिया जायेगा, जो पार्को के विकास के लिए आवश्यक हैं।
14. कार्य योजना/डी0पी0आर0 में कार्य के औचित्य तथा आवश्यकता के संबंध में भी रिपोर्ट/संक्षिप्त प्रतिवेदन संलग्न किया जाए।
15. निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष धनराशि निर्गत होने के पश्चात् स्वीकृत धनराशि में ही कार्य कराया जाना आवश्यक होगा। सामान्यत: लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
16. योजनान्तर्गत उन्हीं कार्यो को प्रस्तावित किया जायेगा, जो किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित/पूर्व से स्वीकृत नहीं है। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।
17. कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता का उत्तरदायित्व संबंधित नागर निकाय व कार्यदायी संस्था का होगा।
18. कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ठीक न होने की स्थिति में व्यय हुए शासकीय धन की वसूली संबंधित अधिकारियों/कार्यदायी संस्था से उनके निजी स्रोतों से नियमानुसार की जायेगी, जिसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।
19. प्रस्तावित कार्य हेतु निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय/आगामी किश्त की धनराशि, आवश्यक उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात्, अवमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ कराये गये कार्यो की सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति तथा कार्य के गुणवत्ता के साथ कराये जाने संबंधी प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया जायेगा।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रत्येक जिला-मुख्यालयों में एक मॉडल पार्क विकसित किये जाने हेतु उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव/आगणन शासन के विचारार्थ 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

19.8.19

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-249/2019/2368/नौ-5-2019-01घोषणाबजट/2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- मिशन निदेशक (अमृत/एस0बी0एम0), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल/सूडा ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।